e/; in'k 'kklu
foRr foHkkx
vf/klpuk

भोपाल, दिनांक 7 जुलाई, 1997

क्रमांक 291/97/P.W.C./चार भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मध्यप्रदेश के राज्यपाल एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है , अर्थात् :–

fu;e

1- **lf{kIr uke rFkk ikjHk &**

(1)इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पेंशनर कल्याण निधि नियम 1997 हैं ।

(2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2- **ykx gkuk**

ये नियम राज्य के समस्त पेंशनरों तथा उनके परिवार के सदस्यों पर लागू होगें ।

3- **ifjHkk"kk, &**

इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित होः–

(क) ''आवेदक'' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार की सेवा का ऐसा पेंशनर/परिवार पेंशनर जो प्रारूप ''क'' में सहायता के लिये आवेदन करता है ।

(ख) ''सहायता'' से अभिप्रेत है, नियम 5 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए पेंशनर कल्याण निधि से प्रदान की जाने वाली सहायता ।

(ग) ''बोर्ड'' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार का पेंशनर कल्याण बोर्ड

(घ) ''संचालक'' से अभिप्रेत है, संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश

(ड.) ''कार्यकारिणी समिति '' से अभिप्रेत है, पेंशनर कल्याण बोर्ड की कार्यकारिणी समिति

(च) ''प्रारूप'' से अभिप्रेत है , इन नियमों से संलग्न प्रारूप

(छ) ''सरकार '' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश की राज्य सरकार

(ज) ''निधि'' से अभिप्रेत है , राज्य सरकार द्वारा स्थापित पेंशनर कल्याण निधि

(झ) ''सदस्य '' से अभिप्रेत है, कार्यकारिणी समिति का सदस्य

(ण) ''परिवार का सदस्य'' से अभिप्रेत है, पेंशनर के परिवार का ऐसा सदस्य जो मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 47 में यथापरिभाषित है ।

(ट) ''वर्ष'' से अभिप्रेत है, वित्तीय वर्ष

(ठ) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का जों इन नियमों में प्रयुक्त की गई है किन्तु परिभाषित नहीं की गई है, वही अर्थ होगा जो छत्तीसगढ सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स, 1976 में क्रमशः उनके लिये दिया गया हैं ।

4- **ik=rk &**

राज्य सरकार के पेंशनर तथा उनके परिवार के सदस्य,इन नियमों में उल्लेखित कारणों तथा सीमाओं तक निधि से सहायता प्राप्त करने के लिये पात्र होंगे ।

5- **lgk;rk ds fy;s vk/kkj &**

इस निधि से सहायता निम्तलिखित प्रयोजनो के लिए देय होगी :–

(एक) लंबी तथा गंभीर बीमारी हेतु,
(दो) दुर्घटना के कारण या प्राकृतिक विपत्ति के कारण विकलांगता,
(तीन) चश्में,दांत,श्रवण,यंत्र आदि के लिये ,
(चार) तकनीकी शिक्षा के लिये ,
(पांच) स्केनिंग, डायलेसिस, स्ट्रेस टेस्ट, ईसीजी, तथा अन्य विशिष्ट प्रकार के टेस्ट बशर्ते की ऐसी सुविधा शासकीय चिकित्सालय में न हो तथा ऐसा टेस्ट निजी चिकित्सालयों अथवा प्रायवेट लेब से कराये जाने की सिफारिश शासकीय चिकित्सक द्वारा की गयी हैः

परन्तु राज्य के बाहर इलाज के लिये केवल दवाईयों का मुल्य तथा चिकित्सक की फीस सहायता की अधिकतम सीमा के अधीन अनुज्ञेय होंगी, यदि राज्य के बाहर उपचार राज्य के किसी मेडिकल कालेज के विभागाध्यक्ष की सिफारिश पर किया गया होः

परन्तु यदि किसी मामले में, उपरोक्तानुसार सिफारिश नहीं की गयी हो, तो ऐसे प्रत्येक मामलें में सहायता गुण–दोष के आधार पर कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत की जाएगी । राज्य के बाहर उपचार के लिये सहायता केवल उन बीमारियों के लिये तथा उन चिकित्सालयों में उपचार कराने पर ही दी जाएगी जो परिशिष्ट–एक में सूचीबद्ध है ।

6- **lgk;rk dh vf/kdre jkf'k &**

सहायता की राशि की अधिकतम सीमा निम्नानुसार होगी :–

(क) राज्य के भीतर एक वर्ष में रूपयें 6,000 (छःहजार)
(ख) राज्य के बाहर प्रत्येक मामले में रूपये 20,000(बीस हजार)

7- **lgk;rk dh jkf'k &**

नियम, 5 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये सहायता की अधिकतम सीमा निम्नानुसार होगी.

(एक) लंबी तथा गंभीर बीमारी हेतु प्रत्येक मामले में गुण दोष के आधार पर ।
(दो) दुर्घटना से क्षतिग्रस्त होने पर या अन्य दैविक विपत्ति की स्थिति में प्रत्येक मामले गुण दोष के आधार पर।
(तीन) चश्में के लिये रूपये 350 (तीन सौ पचास केवल)
(चार) दातों के सेट के लिये रूपये 1000(एक हजार केवल)
(पांच) श्रवण यंत्र के लिये रूपये 700 (सात सौ केवल)
(छः) तकनीकी शिक्षा के लिये रूपये 1000 (एक हजार केंवल)
(सात) स्केनिंग/डायलेसिस स्ट्रेस टेस्ट/ रूपये 1500 (पन्द्रह सौ केवल) ई.सी.जी. तथा विशेष प्रकार के टेस्ट हेतु

8- lgk;rk jkf'k ds fy;s vkosnu &

सहायता राशि हेतु प्रारूप ''क'' में आवेदन पत्र आवश्यक सहपत्रों सहित संचालक को प्रस्तुत किया जायेगा।

9- dk;Zdkfj.kh lfefr dk xBu rFkk 'kfDr;ka &

(1) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए एक कार्यकारिणी समिति गठित की जाएगी ।

(2) कार्यकारिणी समिति में निम्नलिखित होंगे :–

(एक) सभापति, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा,
(दो) चार अशासकीय सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा पेंशनर कल्याण बोर्ड के सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट किए जाएगे ।

(तीन) अपर संचालक कोष एवं लेखा जो पेंशन कार्य का प्रभारी हो, कार्यकारिणी समिति का सदस्य–सचिव होगा ।

(3) निधि से सहायता स्वीकृत करने के संपूर्ण अधिकार कार्यकारिणी समिति को होंगें :

परन्तु कार्यकारिणी समिति के अस्तित्व में न रहने की कालावधि के दौरान राज्य के बाहर के मामलों के लिए ये अधिकार क्रमशः सचिव, वित्त तथा राज्य के अंदर के मामलों के लिए यह अधिकार संचालक ,द्वारा प्रयोग कियें जायेंगे।

10- lgk;rk Lohd`r djus ds fy, izfd;k &

(क) सहायता के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच संचालक द्वारा की जाण्गी तथा अपूर्ण अथवा नियमों के अंतर्गत न आने वाले आवेदन –पत्र , आवेदक को वापस कर दिए जाएंगे।

(ख) तद–उपरांत उचित आवेदन –पत्रों को कार्यकारिणी समिति की बैठक में रखा जाएगा, जो कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष के निर्देशानुसार संचालक द्वारा बुलाई जाएगी।

(ग) लंबित मामलों में विनिश्चय करने के लिए कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में उस स्थान या समय पर होगी जो सदस्य सचिव द्वारा बैठक की सूचना में वर्णित किया जाए।

(घ) कार्यकारिणी समिति की उसी बैठक में विनिश्चय किया जाएगा जिसमें तीन सदस्यों में से कम से कम दो सदस्य उपस्थित हों।

(ड) कार्यकारिणी समिति की बैठक में स्वीकृत मामलों में वित्तीय स्वीकृत के आदेश संचालक द्वारा प्रसारित किये जाएगें। आवेदकों को स्वीकृति/अस्वीकृति का आदेश संचालक द्वारा दी जाएगी।

11- **Lohd`r jkf'k dk Hkqxrku &**

स्वीकृत सहायता राशि का आवेदक को भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से संचालक द्वारा किया जाएगा ।

12- **ys[kk rFkk laijh{kk&**

संचालक, निधि का नियमित तथा आदिनांक लेंखा बनाये रखेगा तथा उसकी संपरीक्षा महालेखाकार छत्तीसगढ. द्वारा की जाएगा ।

13- **fuoZpu &**

जहां इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो,तो वह शासन के वित्त विभाग को निर्दिष्ट की जाएगी तथा सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

14- **fujlu rFkk O;kofRr**

इन नियमों के प्रारंभ होने पर ऐसे प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त प्रत्येक नियम का आदेश (कार्यालयीन ज्ञापन को सम्मिलित करते हुए) निरसित हो जाएगा ।

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों,विनियमों या आदेश (कार्यालयीन ज्ञापन को सम्मिलित करते हुये) के अधीन पारित किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानि उपबंधों के अधीन पारित किया गया या की गई कार्यवाही समझी जाएगी

e/;izns'k 'kklu
foRr foHkkx
ea=ky;
oYyHk Hkou]Hkksiky 462004
@@vf/klwpuk@@

भोपाल ,दिनांक 14 अक्टूबर ,1999

क्र. एफ 25/25/98/पी.डब्ल्यू.सी./चार भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , छत्तीसगढ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ पेंशनर कल्याण निधि नियम, 1997 में निम्नलिखित और संशोधन करते है,
अर्थात्ः–

l'kks/ku

उक्त नियमों में –

(1) नियम ''2'' के सथान पर , निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्ः–
''2'' ये नियम छत्तीसगढ राज्य में निवास करने वाले राज्य सरकार के समस्त पेंशनरों तथा उनके परिवारों के सदस्यों को लागू होंगे ।

(2) नियम ''4'' के स्थान पर निम्तलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्ः–
''4'' पात्रता :– छत्तीसगढ राज्य में निवास करने वाले राज्य सरकार के समस्त पेंशनर तथा उनके परिवार के सदस्य ,इन नियमों में प्रमाणित कारणों से ,इन नियमों के अधीन यथा विहित सीमा तक उक्त निधि से सहायता प्राप्त करने कें पात्र होंगे ।

(3) नियम ''4'' के पश्चात् निम्नलिख्ति नियम अतः स्थापित किया जाए, अर्थात्ः–

''4–क. सेवानिवृत्त रूपए की उपबंध , कल्याण निधि

राज्य सरकार , उन समस्त पेंशनरों के लिए ,जो राज्य सरकार की सेवा से हुए हों और जो छत्तीसगढ राज्य में निवास करते हों ,प्रति पेंशनर प्रति वर्ष पांच दर से राशि का निधि में अभिदाय करेगी तथा इस प्रयोजन के लिए आवश्यक बजट प्रत्येक वर्ष मुख्य शीर्ष 2054 कोष एवं लेखा प्रशासन –800 अन्य व्यय –पेंशनर

(4) नियम ''5'' के द्वितीय परन्तुक का लोप किया जाए।
(5) नियम ''6'' के स्थान पर,निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए,अर्थात् :–
''6'' सहायता की सीमा :– नियम 4–क के अधीन सहायता की अधिकतम सीमा निम्नानुसार होगी :–
(क) राज्य के भीतर उपचार के लिए :–
(1) ऐसे पेंशनर जो चतुर्थ वर्ग के पदों से सेवानिवृत्त हुए है, 6,000/– रूपये प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए उपगत व्यय का सौ प्रतिशत
(2) ऐसे पेंशनर जो तृतीय वर्ग के पदों से सेवानिवृत्ति हुए है ,3,000/– रूपये प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए , उपगत व्यय का पचास प्रतिशत और
(3) ऐसे पेंशनर जो द्वितीय वर्ग तथा प्रथम वर्ग के पदों से सेवानिवृत्ति हुए है, 1,500/– रूपये प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए उपगत व्यय का पच्चीस प्रतिशत ।

(ख) राज्य के बाहर उपचार के लिए :–

(1) ऐसे पेंशनर जो चतुर्थ वर्ग के पदों से सेवानिवृत्त हुए है, 20,000/रूपये प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए उपगत व्यय का सौ प्रतिशत ।

(2) ऐसे पेंशनर जो तृतीय वर्ग के पदों से सेवानिवृत्ति हुए है ,10,000/–रूपये प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए, उपगत व्यय का पचास प्रतिशत और

(3) ऐसे पेंशनर जो द्वितीय वर्ग तथा प्रथम वर्ग के पदों से सेवानिवृत्ति हुए है, 5,000/–रूपये प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए उपगत व्यय का पच्चीस प्रतिशत ।

6. ये संशोधन e/; izns'k राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे

e/; izns'k के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

NRrhlx< 'kklu
foRr ,oa ;kstuk foHkkx
ea=kky;
nkÅ dY;k.k flag Hkou & jk;iqj
@@vf/klwpuk@@

रायपुर, दिनांक 16.01.2004

क्रमांक 58/1057/03/वि/नि/चार :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग मे लाते हुए, छत्तीसगढ. के राज्यपाल ,एतद् द्वारा छत्तीसगढ. पेंशनर कल्याण निधि नियम,1997 में निम्नलिखित और संशोधन करते है, अर्थात् :–

l'kks/ku

उक्त नियमों में,–

1. नियम ''6'' के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए,
   vFkkZr~&

'6'' सहायता की अधिकतम सीमा –

नियम 4–क के अधीन सहायता की अधिकतम सीमा निम्नानुसार होगी :–

(क) राज्य के भीतर उपचार के लिए एक वर्ष में रू. 10,000 (दस हजार)।
(ख राज्य के बाहर उपचार के लिए प्रत्येक मामले में रू. 30,000 (तीस हजार)।

2. नियम 5 में विद्यमान परन्तुक के पश्चात निम्नलिख्ति परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थात्:–
   ''परन्तु यह और कि राज्य के बाहर उपचार के लिए सहायता केवल उन बीमारियों तथा अस्पतालों के लिये दी जाएगी, जो परिशिष्ट –1 में सूची बद्ध है ।''

3. विद्यमान परिशिष्ट –1 के स्थान पर निम्नलिखित परिशिष्ट स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

ifjf'k"V &1

(राज्य के बाहर उपचार हेतु बीमारियो तथा अस्पतालों की सूची)
(नियम –5 देखिए)

1- chekfj;k dh lph %&

1. सभी प्रकार के कैसर ,
2. ओपन हार्ट सर्जरी,
3. कार्डियक फेल्योर,
4. गुर्दा प्रत्यारोपण,
5. जटिल (कॉम्प्लिकेटिड) नेत्र शल्या क्रिया,
6. जटिल (कॉम्प्लिकेटिड) न्यूरो सर्जरी,
7. जोड. का पुनःस्थापन ।

2- vuekfnr fpfdRlky;k dh lph%&

1. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ,नई दिल्ली
2. जी.पी.पंत हास्पिटल, नई दिल्ली
3. बी.एच.यू. वाराणसी
4. के.ई.एम. हास्पिटल ,मुंबई
5. बाम्बे हास्पिटल मुंबई
6. जशलोक हास्पिटल मुंबई
7. बी.वाय.एल.नायर हास्पिटल मुंबई
8. टाटा मेमोरियल हास्पिटल मुंबई
9. नानावटी हास्पिटल मुंबई
10. श्री चित्र तिरूणाल इंस्टिट्यूट त्रिवेंद्रम
11. सी.एम.एस. वेल्लूर
12. निजाम इस्टिट्यूट, हैदराबाद
13. पंडालिया कार्डियो थोरेसिक फाउंडेशन,चेन्नई
14. अपोलो हास्पिटल ,चेन्नई
15. शंकर नेत्रालय ,चेन्नई
16. पी.जी.आई. लखनउ
17. सदन्र रेल्वे हास्पिटल ,पेसम्बर
18. एल.एन.टी.पी. हास्पिटल नई दिल्ली
19. एस्कार्ट हार्ट इंस्टिट्यूट नई दिल्ली
20. बत्रा हास्पिटल नई दिल्ली
21. अपोलो हास्पिटल ,हैदराबाद
22. इंद्रप्रस्थ अपोलो हास्पिटल ,दिल्ली
23. लीलावती हास्पिटल मुंबई

24.मेट्रो हास्पिटल, नोएडा
25.मेडविन हास्पिटल ,नई दिल्ली
26.सर गंगाराम हास्पिटल ,नई दिल्ली
27.चोइथराम हास्पिटल ,इंदौर (केवल जांच हेतु)

3. राज्य के बाइर चिकित्सा हेतु सहायता देने के लिए राज्य के भीतर के निम्नलिखित चिकित्सालयों को भी उन्ही रोगों तथा चिकित्सालयों के समकक्ष माना जावेगा :–

1. अपोलो हास्पिटल, बिलासपुर
2. मार्डन मेडिकल इंस्टिट्यूट ,लालपुर,रायपुर
3. एस्कार्ट हार्ट कमांड सेंटर रायपुर
4. राज्य में स्थित समस्त शासकीय चिकित्सालय एंव चिकित्सा महाविद्यालय

छत्तीसगढ. के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

¼lrh'k ik.M;½
उप सचिव
छत्तीसगढ. शासन, वित्त विभाग

NRrhlx< 'kklu
foRr ,o ;ktuk foHkkx
e=ky;
nkm dY;k.k flg Hkou & jk;iqj
@@vf/klpuk@@

रायपुर ,दिनांक 22.12.2004

क्रमांक 1037/सी–2796/वि/नि/चार/2004 :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग मे लाते हुए, छत्तीसगढ. के राज्यपाल ,एतद् द्वारा छत्तीसगढ. पेंशनर कल्याण निधि नियम,1997 में निम्नलिखित और संशोधन करते है, अर्थात् :–

<u>l'kk/ku</u>

उक्त नियमों के नियम –5 के विद्यमान द्वितीय परन्तुक को निम्नानुसार , प्रतिस्थापित किया जाये,

अर्थातः–

''परन्तु यदि किसी मामले में उपोक्तानुसार सिफारिश नहीं की गई हो, तो ऐसे प्रत्येक मामले में सहायता गुण दोष के आधार पर कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत की जाएगी . राज्य के बाहर उपचार के लिये सहायता केवल उन बीमारियों के लिये तथा उन चिकित्सालयों में उपचार कराने पर ही दी जाएगी जी परिशिष्ट एक में सूचीबद्ध है ।''

छत्तीसगढ. के राज्यपाल के
नाम से तथा आदेशानुसार
(सतीश पाण्डेय)
उप सचिव
छत्तीसगढ. शासन वित्त विभाग

पृ.क. 1038/सी2796/वि/नि/चार/2004 रायपुर ,दिनांक 22/12/2004

प्रतिलिपि :–

1. शासन के समस्त विभाग ।
2. अध्यक्ष राजस्व मण्डल बिलासपुर ।
3. समस्त विभागाध्यख ,छत्तीसगढ. ।
4. आवासीय आयुक्त ,छत्तीसगढ. भवन 7,चाणवयपुरी, नई दिल्ली ।
5. समस्त कलेक्टर ,छत्तीसगढ. ।
6. राज्यपाल केसचिव ,राजभवन ,रायपुर ।
7. सचिव,छत्तीसगढ. विधानसभा सचिवालय ,रायपुर
8. सचिव,मुख्यतमंत्री सचिवालय ।
9. रजिस्ट्रार जनरल ,उच्च न्यायालय ,बिलासपुर छ.ग. ।
10. सचिव,छ.ग. लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग,छ.ग. रायपुर
11. निज सचिव /निज सहायक ,मंत्री/राज्यमंत्री ,छ.ग. शासन ।
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, छ.ग. बिलासपुर ।
13. महालेखाकार ,छ.ग. रायपुर को सूचनार्थ ।
14. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर ,मंत्रालय ,रायपुर ।
15. सचिव,वित्त के निज सचिव,मंत्रालय रायपुर ।
16. आयुक्त ,कोष,लेखा एवं पेंशन छ.ग. रायपुर ।
17. आयुक्त,जनसंपर्क संचालनालय ,छ.ग. रायपुर ।
18. अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी,मंत्रालय रायपुर
19. समस्त सचिव विशेष सचिव/संयुक्तसचिव /उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा,वित्त विभाग,मंत्रालय रायपुर ।
20. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक कोष,लेखा एवं पेंशन छ.ग. रायपुर ।
21. समस्त कोषालय अधिकारी ,छत्तीसगढ. ।
22. समस्त प्राचार्य ,लेखा प्रशिक्षण शाला छत्तीसगढ.।
23. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी /पेंशनर संघ छत्तीसगढ. ।
24. संचालक शासकीया लेखन सामग्री एंव मुद्रण रायपुर छत्तीसगढ.
25. समस्त सदस्य पेंशनर कल्याण मंडल /कार्यकारिणी समिति छत्तीसगढ.
26. राज्य सूचना अधिकारी